ॐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"
ॐंकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-5 अंक : 49

सहयोग शुल्क : रु. 1 / जनवरी : 2021

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सब मिलकर दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन में सुधार का काम करें ।

- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

दिव्यांग जनों का विकास देश का भी विकास है ।

- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांग जनों को हमेशा साथ और सम्मान दें ।

- मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी (गुजरात राज्य)

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

दिव्यांग सेतु जनवरी 2021

कभी गिरोगे मगर खुद उठ भी जाओगे,
कभी लडखडाओगे मगर खुद ही संभल जाओगे ।
जब आप थामोगे बुलंद हौंसलो का दामन तो,
एक दिन आप भी मंजील तक पहुंच जाओगे ।

इस विश्व में कई सारे ऐसे लोग भी है की जीसे अगर चुनौतीयों का, कठिनाईयों का सामना करने की नोबत आये तो वह अपना रास्ता बदल देते है या फीर उससे भागने की कोशिष करते है । सारी सुबिधाएं उपलब्ध होने के बावजुद भी असफल हो जाते है । वहीं दुसरी और कई ऐसे इंसान भी है जिन्होने तमाम कठिनाइयों के बावजुद भी जीवन में असंभव लगनेवाले काम किए है और अपना और देश का भी नाम रोशन कीया है ।

हमे भी ऐसे ही जीवन में चुनौतीयों से भागना नही । अपनी शारिरीक अक्षमता से निराश नही होना है । बल्कि जीवन में हंमेशा हर तरह की चुनौतियों से लडते हुए आगे बढना है । है अगर हौंसला बुलंद तो हर कदम पर सफलता मुमकीन है...

आप सभी को निवेदन है की ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनों के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है । हम इसे प्रकाशित करेंगे ।

आईए, आप भी दिव्यांगजनों के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दे...

दिव्यांग सेतु
मासिक पत्रिका

जनवरी : 2021, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष : 5 अंक : 49

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

★ सब मिलकर दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन में सुधार का काम करे...
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी

३ दिसंबर - २०२०, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदीने आह्वान करते हुए कहा की सामुहिक प्रयासो से दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने टवीट करके कहा की इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का विषय - बिल्डिग बैक बेटर कोविड-१९ के बाद दिव्यांगो के लिए बहेतर दुनिया सुलभ कराना रखा गया है । उसी के मद्देनजर देश में दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सुधार लाने के लिए उन्हें अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के धैर्य हमें प्रेरणा देता है। केन्द्र की एकसेसिबल ईंडिया पहल के तहत, कई योजनाएं शुरु की गई है जो दिव्यांग बहनों और भाइयो के जीवन में सकारात्मक बदलाव को सुनिश्चित करती है।

★ दिव्यांग शिक्षक ले सकेंगे आईआईटीई में प्रशिक्षण

दिव्यांग शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आईआईटीई) के सेन्टर ऑफ स्पेशियल एज्युकेशन (सीओएसई) को रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (आरसीआई) ने मंजूरी दे दी है । दिव्यांगो के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने वाला इंक्लुसिव कैम्पस इस यूनिवर्सिटी में है।

सेन्टर ऑफ स्पेशल एज्युकेशन की निर्देशक प्रो. दिव्या शर्मा ने कहा कि अलग-अलग प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक खामी वाले दिव्यांगो के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । इसके चलते उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण लेना होता है । प्रशिक्षण के मानदंड और पाठ्यक्रम आरसीई की और से निर्धारित किए जाते हैं । वहीं प्रशिक्षण लेने वाले स्पेशल एज्युकेटर को भी हर पांच वर्ष में फिर से मान्यता लेनी होती है । इसके लिए उन्हें क्षमता वर्धन प्रशिक्षण और प्वाइन्ट हासिल करने होते है । इसके लिए आईआईटीई के सेन्टर ऑफ स्पेशल एज्युकेशन को ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए आरसीई की मंजूरी मिलती है । अब यहां भी स्पेशल एज्युकेटर की क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा । आगामी जनवरी, फरवरी और मार्च में आरसीआई के लाइसेंस प्राप्त स्पेशल एज्युकेटर्स की क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे ।

आईआईटीई के कुलपति डॉ. हर्षद पटेल ने कहा है कि शिक्षक को प्रशिक्षण देने वाले इस विश्वविद्यालय का दायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण देना है । इसके चलते ही आईआईटीई ने पांच सेन्टर स्थापित किए हैं । इसके जरिए ही जरुरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं ।

★ सभी श्रेणी के दिव्यांगों के वाहन पर जीएसटी, टोल टैक्स एवं रोड टैक्स में छूट देने के लिए संबधित विभाग अपने आवश्यक नियमों एवं आदेशों में संशोधन करेंगे : सीसीपीडी कोर्ट

१ दिसंबर २०२० को न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी कोर्ट), नई दिल्ली में केस संख्या १२१४९/११४१/२०२० की सुनवाई की गई। इसमें माननीय आयुक्त दिव्यांगजन उपमा श्रीवास्तव ने सिफारिश की है कि भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पीडब्ल्युडी श्रेणी के सभी व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी दिव्यांगता से पीड़ित हो, को जीएसटी, टोल टेक्स एवं रोड टैक्स में कंसेशन देने के लिए आवश्यक नियमों एवं आदेशों में संशोधन करेंगे। विदित हो कि वर्तमान में इस तरह की छूट कवल ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके अनुकूलित अथवा एडाप्टिव कार खरीदने पर दी जाती है।

इस केस के तहत न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के द्वारा तीन व्यक्तियों के शीकायतों का निपटारा किया गया –

१. शिबू एस वी, केरल बनाम भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।

इसमें ५० प्रतिशत अल्प दृष्टि दिव्यांग शिकायतकर्ता के द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी के सभी दिव्यांगों के लिए चार पहिया वाहन की खरीद के समय किए गए भुगतान में जीएसटी कंसेशन देने की मांग की गई थी।

२. रामदास शिवहरे, दिल्ली बनाम भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।

शत प्रतिशत दृष्टिबाधित शिकायतकर्ता के द्वारा मांग की गई थी कि सभी श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों को चार पहिया वाहन खरीदने के समय जीएसटी में छूट दी जाए। साथ ही, रोड टैक्स एवं टोल टैक्स में भी छूट दी जाए। कोर्ट से यह भी निवेदन किया गया था कि विभिन्न टैक्सों में छूट के लिए वाहन को मॉडिफाई करने की तकनीकी स्थिति को हटाई जाए।

३. श्रीमती पुलेला वेंकट सत्या, उड़ीसा बनाम भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।

शारीरिक दिव्यांग (बाए पैर एवं दाहिने बांह से) शिकायतकर्ता के द्वारा मांग की गई थी कि अपने नाम पर कार की खरीद न होने के बावजूद स्वयं के द्वारा उपयोग की जाने वाली कार पर टोल टैक्स में छूट दी जाए। यहां इन सभी शिकायतकर्ताओं को एक आम शिकायत थी कि जीएसटी टैक्स में छूट केवल ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांगों को दी गई है। इसके परिणाम स्वरुप ऐसे व्यक्ति जो ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांगता के अलावे अन्य दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, उनके साथ भेदभाव किया गया है।

माननीय आयुक्त (दिव्यांगजन) ने अत्यंत विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत तरीके से इन शिकायतों की व्याख्या करते हुए अपने आदेश सुनाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पूर्ण रुप से दृष्टिबाधि व्यक्ति स्वयं गाड़ी चला पाने में सक्षम नहीं होगा विभिन्न राज्यों में आरटीओ के नियमों में भी वाहन चलाने में श्रवन दिव्यांगों को प्रतिबंधि किया गया है, समान आधार पर ऑर्थोपेडिक दिव्यांग भी वाहन में आवश्यक मॉडिफिकेशन किए बगैर वाहन नहीं चला सकते। इसलिए, य निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि अपनी गाड़ी को चलाने में दिव्यांग व्यक्ति हमेशा चुनौती व सामना करते है, चाहे वे किसी भी दिव्यांगता पीड़ीत हों।

इसलिए यह अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति अपने आप में एक श्रेणी नहीं बनाते और केवल ऑर्थोपेडिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को जीएसटी कंसेशन दिया जाना एक वैध उदेश प्राप्त करने का आनुपातिक साधन नहीं कहा जा सकता है। अतः इस तरह के कार्य दिव्यांग व्यक्तियों के समानता के अधिकारों का उलंघन है जो कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम २०१६ के तहत गारंटोकृत करती है।

तदनुसार यह अदालत अनुशंसा करती है कि भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पीडब्ल्यूडी श्रेणी के सभी व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी दिव्यांगता से पीड़ीत हो, को जीएसटी, टोल टेक्स एवं रोड टेक्स में कंसेशन देने के लिए आवश्यक नियम एवं आदेशों में संशोधन करेंगे।

★ नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर दिव्यांग साइकिलिस्ट अक्षय, ३२ दिन में ४२५० किमी का लक्ष्य

साइकिलिंग करके गिनीज बुक, इंन्टरनेशनल बुक ऑफ रिकार्ड, इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकार्ड बना चुके दिव्यांग साइकिलिस्ट अक्षय अब नया मुकाम हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं। इस बार उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग का लक्ष्य तय करके कीर्तीमान स्थापित करने की ठानी है। इस दौरान वह ३२ दिन में ४२५० किमी का सफर अपनी हमसफर साइकिल से तय करेंगे।

अक्षय ने बताया कि सेना के पैरा साइकिलिस्ट के साथ ३२ दिन में लगभग ४२५० किमी का सफर की शुरुआत कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि सफर कठिन जरुर रहेगा लेकिन साथियों के साथ में इस लक्ष्य को जरुर पूरा करेंगे। अबतक की साइकिलिंग में यह सबसे लंबी राइड होगी। अक्षय इस राइड के जारिये से समाज को स्वास्थ्य और पर्यावरण का संदेश देंगे।

रामादेवी स्थित गांधीग्राम में रहने वाले २५ वर्षीय अक्षय सिंह २०१० में रेल दुर्धटना में दायां पैर गंवा चुके हैं। दिव्यांगता को मात देने वाले अक्षय ने एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को आदर्श मानकर साइकिलिंग करना शुरु किया। उन्होंने बताया कि आदित्य मेहता फाउंडेशन के मार्गदर्शन में होने वाली राइड में सेना के पैरा साइक्लिस्ट पूरे सफर में उनका साथ देंगे।

साइकिलिंग के चलते देश दुनिया में पहचान बनाने वाले कानपुर के अक्षय ने ३१ जनवरी को कानपुर से मुंबई १५०० किमी का सफर १३२ धंटों में तय कर यह उपलब्धि हासिल की थी। इससे पहले वे कानपुर से दिल्ली तक ४५० किमी की दूरी चार दिनों में पूरी कर गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में नाम दर्ज कराया था। वे एशियन पैरा साइकिलिंग में क्वोलीफाई भी हो चुके हैं। उनका अगला लक्ष्य एशियन साइकिलिंग में पदक जीतना है।

★ अपनी दिव्यांगता को पीछे छोडकर सिगिंग से लेकर ट्रीपल ड्रम बजाने में माहिर दिव्यांग शिव शंकर लोहरा ।

कहेते है की प्रतिभा कीसी की मोहताज नही होती । इसके लिए हौंसलो की जरुरत होती है । झारखंड के रांची के २२ वर्षीय शिव शंकर लोहरा ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है । शिवशंकर एक सिंगर, कोरियोग्राफर के साथ-साथ एक अच्छे चित्रकार भी है । शिवशंकर लोहरा को राज्यपाल भी सम्मानित कर चुके है ।

शिवशंकर लोहरा रांचि के पंडरा इलाके के रहनेवाले है । वह ट्रिपल ड्रम बजाते है और इनकी हिंदी और सादरी में गाने के एल्बम भी है । शिवशंकरने अपनी जिंदगी में कभी हार नही मानी । उन्होनें जो भी ठान लिया उसे करके भी दिखाया । शिवशंकर के मुताबिक कभी-कभी उनके मन में कसक रहता था की दूसरों की तरह वो स्वस्थ नही है । स्कुल-कोलेज में कंई जगहों पर ताने भी सुनने मिलते थे लेकीन इन सभी बातों को भुलकर शिवशंकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढते रहे ।

शिवशंकर खुद को इस मुकाम पर पाकर बेहद खुश है । उनका कहेना है की उन्होंने गरीबी को बहुत ही नजदीक से देखा है । लेकीन गरीबी को कभी भी अभिशाप नही माना । शिवशंकर के पिता लोहा-भट्टी चलाने का काम करते है । शिवशंकरने पंडरा के संजय गांधी मेमोरियल कोलेज से बी.कोम भी कीया ।

शिवशंकर को सफल देखकर उनके माता-पिता भी बेहद खुश है की उनका बेटा दिव्यांग होने के बावजुद भी अपने गांव का, अपने परीवार का नाम रोशन कर रहा है । संगीत के साथ-साथ शिवशंकर चित्रकारी में भी रुचि रखते है । इस क्षेत्र में उन्होंने राज्यपाल से पुरस्कार भी प्राप्त कीये है ।

दिव्यांगता कभी भी अभिशाप नही होती । शारिरीक अक्षमता के बावजुद शिवशंकर के जज्बा की हर शख्श तारीफ करता है और सभी लोगो के लिए शिवशंकर एक प्रेरणा स्त्रोत है ।

शिवशंकर एक सिंगर, कोरियोग्राफर के साथ-साथ एक अच्छे चित्रकार भी हैं.

★ परिवार बसाने की चाह रखने वाले दिव्यांग भी बसा सकेंगे अपना घर, जाने क्या है शर्ते और प्रक्रिया :-

जो भी दिव्यांग आर्थिक तंगी के चलते परिवार बसाने में अक्षम हैं उनके लिए अब एक खुशखबरी है । दिव्यांगो का परिवार बसाने के लिए दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है । इसमें ३५००० रुपये की धनराशि दंपती के खाते में दी जाएगी । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि जिले के समस्त दिव्यांग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ऊपर लखनऊ से संचालित योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं । दंपती में युवक के दिव्यांग होने की दशा में १५००० रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा २०००० रुपये री धनराशि दी जाती है।

क्या होगी शर्तें -

→ शादी के समय युवक की आयु २१ वर्ष से कम तथा ४५ वर्ष से अधिक न हो ।

→ युवती की आयु १८ वर्ष से कम एवं ४५ वर्ष से अधिक न हो ।

→ दंपती में कोई आयकर दाता न हो ।

→ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता ४० प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

→ ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो ।

कैसे करें आवेदन :

दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के इच्छुक दिव्यांग दंपती वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन **http/ divyangjan-upsdc-gov-in** पर आवेदन कर सकते है।

कौन से प्रपत्र की जरुरत होगी :

ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दंपती को दिव्यांगता वाला संयुक्त नवीनतम कोर्ट विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाणपत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाणपत्र पर राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता अधिवास का प्रमाण पत्र व युवक एवं युवती का आधार कार्ड की छायाप्रति सहित वेबसाइट पर आवेदन करना अनिवार्य हे ।

साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रती एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिल्ला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को दें ।

★ दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन के द्वारा प्राप्त करें कार खरीदने से पहले जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट :-

१२ नवंबर २०२० को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी की गई। इसमें डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने एवं प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा कार खरीदने में छूट संबंधी जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने का उल्लेख किया गया है । अब योग्य दिव्यांग इस कार्य के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही दे सकेंगे, ऑफलाइन आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विदित हो कि मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत २०१८ में की गई थी।

जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट का लाभ किसे मिलेगा ?

जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट उन सभी ऑर्थोपेडिक शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को जिनकी स्थाई दिव्यांगता ४० प्रतिशत अथवा इससे अधिक है, उसको जारी किया जाएगा। दिव्यांग चाहे स्वयं वाहन चलाते हो अथवा दूसरे तरीके से।

वाहन, जिस पर जीएसटी कंसेशन दी जानी है।

यह कंसेशन मोटर वाहनों की खरीद पर दी जाती है, जिसकी लंबाई ४००० मिमी से अधिक न हो, साथ ही-

क. पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी चालित वाहन की इंजन क्षमता १२०० सीसी से अधिक न हो।

ख. डीजल चालित वाहन की इंजन क्षमता १५०० सीसी से अधिक न हो।

जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट से मिलने वाला छूट।

वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने ऑर्थोपेडिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए मोटर वाहन पर जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से जीएसटी में १० प्रतिशत की छूट दी है एवं शून्य उपकर लगेंगे। इस प्रकार इस सर्टिफिकेट का लाभ उठाने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कार की खरीद पर २८ प्रतिशत जीएसटी एवं निर्धारित उपकर की जगह पर सिर्फ १८ प्रतिशत जीएसटी देने होंगे।

दिशानिर्देश के अनुसार लाभ प्राप्त करने वाले योग्य आवेदकों को निर्दिष्ट प्रारुप में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) का विवरण, खरीदे जाने वाले वाहन का मॉडल संबंधित विवरण, एक डीलर का नाम जिससे वाहन खरीदा जाना है। एवं आरटीओ का नाम जहां वाहन का पंजीकरण होना है, संबंधित विवरण अंकित करना होगा।

यदि आवेदक के पास विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) उपलब्ध नही है तो, निर्धारित प्रोफार्मा में चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र जिस पर सिविल सर्जन अथवा सरकारी अस्पताल के समकक्ष चिकित्सक के द्वारा काउंटर साइन किया गया हो, अपलोड करना होगा।

आवेदक को एक निर्धारित प्रपत्र में अंकित स्वघोषणा पत्र की एफिडेविट भी अपलोड करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे पिछले ५ वर्षो में इस तरह के छूट प्राप्त नहीं किए हैं और जीएसटी कंसेशन का

लाभ लेने के बाद ५ वर्षो तक वाहन का उपयोग खुद करते रहेंगे, उसे बेचेंगे नहीं।

यह प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से ३ महीने के लिए वैध होगा। अर्थात, जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के ३ महीने तक आवेदक के द्वारा वाहन खरीदना अनिवार्य होगा। साथ ही, इस वाहन को मोटर वाहन अधिनियम २०१९ के तहत अनुकूलित/एडाप्टिव वाहन के रुप में पंजीकृत किया जाएगा।

आवेदक वाहन के पंजीकरण की तिथि से ३० दिनों के अंदर भारी उद्योग विभाग को वाहन की खरीद और पंजीवन संख्या के बारे में उसी पोर्टल के माध्यम से सूचना देंगे।

कृपया आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित कागजातों को स्कैन कर रखें ताकि सुगमता पूर्वक अपलोड किया सके -

१. पैन कार्ड २. आधार कार्ड

३. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड)
अथवा निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाणपत्र

४. फोटोग्राफ ५. हस्ताक्षर

६. स्व-घोषणा पत्र की एफिडेविट

ऑनलाइन आवेदन करने एक विशेष जानकारी हेतु यूआरएल https-//dhigecs.heavyindustry.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

★ खुद पोलियो ग्रसित होने के बावजूद भी कोरोना पेशेंट के इलाज में कार्यरत है डॉक्टर मोहिनी दतरानिया ।

२४ अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है । अहमदाबाद के डॉक्टर मोहिनी दतरानिया खुद पोलियो ग्रसित होने के बावजूद भी इस कोरोना काल में मार्च से लेकर अभी तक प्रतिदिन १० घंटे कोरोना पेशेंट का इलाज करके हर एक व्यक्तिके लिए प्रेरणा स्त्रोत बने है । इस विषय में डॉक्टर मोहिनी दतरानिया का कहना है कि मैं स्पेशली एबल्ड हूं इसीलिए कोरोना काल में की ड्यूटी से बचने का विकल्प मेरे लिए खुला था लेकिन मैंने यह विकल्प पसंद नहीं किया और लोगों की सेवा करने का विचार करके मार्च से लेकर आज तक में सतत कोरोना पेशेंट का इलाज करती रही । पेशेंट के इलाज के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरा काम करने का जज्बा, बुलंद हौसले को देखकर कई बाइ कोरोना पेशेंट ने तालियां बजाकइ मेरी बहुत प्रशंसा की । इसके अलावा मेरे जज्बे को देखकर कई कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट को हिम्मत भी मिलती रही ।

डॉक्टर मोहिनी दतरानिया ने कहा कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ ना नहीं चाहिए । जीवन में हमेशा हिम्मत से बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए । अपनी शारीरिक अक्षमता को देखकर खुद को दूसरों से अलग कभी नहीं समझना चाहिए बल्कि किसी भी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए । भगवान ने हमें कभी कुछ कमियां दी है तो सामने कुछ खूबियां भी दी होती है ऐसा सोच कर डटे रहना चाहिए । उन्होंने कहा कि अगर अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य तय रहेगा तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से जिंदगी में कभी कोई नहीं रोक सकता । उन्होंने कहा कि किसी भी चुनौति से लड़ने के लिए स्ट्रांग विल पावर के साथ आगे बढ़ो । दूसरों के ऊपर निर्भर बने रहने की बजाए खुद में भरोसा रखकर मेहनत करेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता ।

डॉक्टर मोहिनी दतरानिया ने खुद पोलियो ग्रसित होने के बावजूद अपने बुलंद हौसलों से उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना साकार किया । खुद की शारीरिक अक्षमता को उसने कभी भी अपने लक्ष्य को पाने की सफर में बीच में नहीं आने दिया । डॉक्टर मोहिनी दतरानिया हर एक आम इंसान के लिए भी प्रेरणा स्रोत है ।

★ गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा गरीब, विधवा एवं निराधार लोगों को पितरों की याद में राशन और जीवन जरूरी चीजें वितरित की गई.....

गायत्री विकलांग मानव मंडल द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के समय में पितरों की याद में गरीब,विधवा, वृद्ध, निराधार एवं दिव्यांग भाई-बहनों को राशन किट वितरित की गई। दाताओं द्वारा मिले सहयोग से २०० से भी अधिक भाई-बहनों को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदीजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राशन किट दिया गया इसके साथ-साथ गरीब और निराधार बच्चों को भोजन, कपड़े, खिलौना, दवाइयां बांटी गई। इसके अलावा पढ़ाई करने वाले बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी कीट आदि चीजों का भी वितरण किया गया।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

(N.G.O.)

संचालित

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर